न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 116/2018
आर.सी.एम.एस. नम्बर :: 2018/00149

प्रार्थी :– सरकार जरिये तहसीलदार सोजत

बनाम

अप्रार्थिया :– जबरसिंह पुत्र रतनसिंह राजपूत निवासी शिवपुरा तहसील सोजत, जिला पाली (राज.)

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार

–:: आदेश ::–

दिनांक : 29/8/2018

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) सोजत द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम शिवपुरा, पटवार हल्का शिवपुरा तहसील सोजत के साबिक खसरा नम्बर 358 किस्म गै.मु.नदी रकबा 394.02 बीघा के गत भू प्रबंधन के दौरान किस्म परिवर्तन कर अप्रार्थी के हक में दर्ज कर दी जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 421 किस्म चा.प्र. रकबा 2.37 है. को पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने हेतु सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम शिवपुरा, पटवार हल्का शिवपुरा तहसील सोजत के साबिक खसरा नम्बर 358 किस्म गै.मु.नदी रकबा 394.02 बीघा के गत भू प्रबंधन के दौरान किस्म परिवर्तन कर उस में से कुछ भाग में अप्रार्थी को बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया, जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 421 किस्म चा.प्र. रकबा 2.37 हैक्टयर है। जिसे अप्रार्थी ने मारवाड ग्रामीण बैक में रहन पर रख दिया, जिसे जरिये नामान्तरकरण संख्या 793 दिनांक 04.07.2003 के दर्ज किया गया। जैर प्रार्थना पत्र आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत गै.मु. नदी प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से किस्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता है तथा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ विधि विरूद्ध रूप से दिए गए खातेदारी अधिकार एवं संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 793 दिनांक 04.07.2003 को निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

अति० जिला कलेक्टर, पाली

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम शिवपुरा, पटवार हल्का शिवपुरा तहसील सोजत के साबिक खसरा नम्बर 358 किस्म गै.मु.नदी रकबा 394.02 बीघा के गत भू प्रबंधन के दौरान किस्म परिवर्तन कर उस में से कुछ भाग में अप्रार्थी को बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया, जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 421 किस्म चा.प्र. रकबा 2.37 हैक्टयर है। जिसे अप्रार्थी ने मारवाड ग्रामीण बैक में रहन पर रख दिया, जिसे जरिये नामान्तरकरण संख्या 793 दिनांक 04.07.2003 के दर्ज किया गया। जैर प्रार्थना पत्र आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत गै.मु. नदी प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से किस्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता है एवं न ही भू प्रबंधन अधिकारी द्वारा इस श्रेणी में आने वाली भूमि की किस्म परिर्वतन कर किसी व्यक्ति/संस्था को खातेदारी के अधिकारी दिए जा सकते है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि की किस्म परिवर्तन नहीं की जा सकती है। अतः भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेन्ट दिये गये खातेदारी अधिकार को अपास्त कराते हुए प्रकरण में जैर प्रार्थना पत्र विवादित आराजी की किस्म गै0मु0 नदी दर्ज करते हुए भूमि को राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज किया जाना आवश्यक है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी जबरसिंह पुत्र रतनसिंह राजपूत निवासी शिवपुरा तहसील सोजत जिला पाली (राज.) के पक्ष में भू प्रबंध अधिकारी द्वारा किए गए नियम विरूद्ध राजस्व रेकर्ड में इंद्राज व उसके पश्चात राजस्व रेकर्ड में इन्द्राजित हुए खातेदारी अधिकारों को विलोपित कराने एवं प्रकरण में जैर प्रार्थना पत्र विवादित आराजी की किस्म गै0मु0 नदी दर्ज करते हुए भूमि को राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज कराने के आदेश फरमावें।

(भागीरथ बिश्नाई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली